न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 80 / 2019

नसरूद्दीन पुत्र श्री नक्कू पुत्र रूस्तम जाति मेव निवासी ग्राम थलचाना तहसील पहाडी जिला भरतपुर

.......प्रार्थी

बनाम

1— हसन पुत्र इस्माइल
2— आसीन
3— शौकत पिस0 ईशव
4— मकसूद
5— रजाक

जाति मेव निवासी झेझपुरी तहसील कामां जिला भरतपुर

..... असल अप्रार्थीगण

6— हसन पुत्र सिरदार
7— आजम पुत्र सिरदार
8— दीनू पुत्र सलेखा
9— रहीम पुत्र कुकू
10— रिजवान पुत्र सुवानुखां

जाति मेव निवासी ग्राम थलचाना तहसील पहाडी जिला भरतपुर

...... तरतीवी अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध आदेश तहसीलदार नगर श्री भारतभूषण दीक्षित विरूद्व पत्रावली दा0खा0 संख्या 351 ग्राम पंचायत कठोल उनवानी हसन बनाम टुण्डो अन्तर्गत धारा 54 एल आर एक्ट।

निर्णय **दिनांक 18.12.2019**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 पेश किया। जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दा0खा0 संख्या 351 ग्राम पंचायत कठोल उनवानी हसन बनाम टुण्डो अन्तर्गत धारा 54 एल आर एक्ट से सम्बन्धित पत्रावली न्यायालय तहसीलदार नगर के न्यायालय में विचाराधीन है । यह पत्रावली पूर्व में तहसीलदार पहाड़ी के यहां से तहसीलदार नगर को मुन्तकिल की गई थी । प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण ने एक सिविल वाद हसन बनाम सरकार संख्या 06 / 2019 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायालय प्रथम कामां में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें स्थगन आदेश जारी है । तहसीलदार नगर इस स्थगन आदेश के बावजूद दा0खा0 संख्या 351 ग्राम पंचायत कठोल पर कार्यवाही करने पर अमादा है । न्यायालय के स्थगन आदेश को नहीं

मान रहे हैं। तहसीलदार नगर के इस व्यवहार से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। असल अप्रार्थीगण ने दिनांक 27.09.2019 को प्रार्थीगण को धमकी दी है कि उनकी तहसीलदार नगर से बातचीत हो गई है और फैसला उनके पक्ष में होगा । इस कारण तहसीलदार नगर के न्याययालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार नगर के न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही बावत दा0खा0 संख्या 351 ग्राम पंचायत कठोल को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलवी की गई। तहसीलदार नगर से टिप्पणी तलब की गई जो शामिल मिसिल है। असल अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने जाहिर किया कि वर्तमान में तहसीलदार नगर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण तहसीलदार पहाड़ी से मुन्तकिल किया गया था। प्रार्थी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी पहाड़ी के व्यवहार से व्यथित था किन्तु तत्कालीन पीठासीन अधिकारी तहसीलदार पहाड़ी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः प्रकरण को तहसीलदार नगर से वापिस तहसीलदार पहाड़ी के न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने कथनों में प्रकरण तहसीलदार नगर से तहसीलदार पहाड़ी के न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की अपनी सहमति व्यक्त की तथा प्रकरण को तहसीलदार नगर से तहसीलदार पहाड़ी के न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष तहसीलदार नगर के यहॉ विचाराधीन प्रकरण को तहसीलदार पहाड़ी न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर सहमत है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार नगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बावत दा0खा0 संख्या 351 ग्राम पंचायत कठोल को तहसीलदार पहाड़ी न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार नगर में विचाराधीन प्रकरण बावत दा0खा0 संख्या 351 ग्राम पंचायत कठोल को तहसीलदार पहाड़ी के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार पहाड़ी एवं तहसीलदार नगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलेक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2019.12.27 16:35:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: